संख्याः 223/ xxii /16-53(सूचना) 2002

प्रेषक

विनोद शर्मा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-2 **देहरादून दिनांक 29 अगस्त, 2016**

विषयः उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 292/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस) 16/2015 दिनांक 24.05.2016 में किये गये प्रस्ताव एवं सूचना अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 148/ xxii (2)/2016-53(सूचना) 2002 दिनांक 13 जुलाई, 2016 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) में जमा मूलधनराशि के अर्जित ब्याज के सापेक्ष ही लाभार्थियों का निर्धारण करते हुए पेंशन का भुगतान किया जायेगा इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी, जिस हेतु एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नवत् पदेन सरकारी/गैर सरकारी सदस्य होगें :-

01	सूचनामंत्री	अध्यक्ष
02	महानिदेशक, सूचना	उपाध्यक्ष
03	अपर निदेशक, सूचना	सदस्य सचिव
04	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना	सदस्य
05	पत्रकार प्रतिनिधि-जिसका पत्रकारिता क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव हो।	कुल सदस्य-01
06	श्रम विभाग, उत्तराखण्ड से पंजीकृत तथा भारतीय प्रेस परिषद ये अधिसूचित पंजीकृत पत्रकार संगठनों के कुल- एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा।	कुल सदस्य-02

2. पेंशन समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 02 वर्ष का होगा।

3. पेंशन प्राप्ति हेतु पत्रकार को निम्न पात्रता/शर्ते पूर्ण करनी अनिवार्य होगीः-

(क) वह उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो,

(ख) ऐसे पत्रकार जिसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो अथवा इससे अधिक हो ।

(ग) ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो, तथा जिनकी समस्त स्रोतो से वार्षिक आय 1ण्50 लाख से अधिक न हो।

(घ) पत्रकारिता अनुभव न्यूनतम 25 वर्ष आवश्यक है।

(ड.) ऐसें वयोवृद्व पत्रकार/स्वतंत्र पत्रकार/फोटो ग्राफर/कैमरामैन जो कम से कम 05 वर्ष उत्तराखण्ड राज्य/पूर्ववर्ती उ0प्र0 से राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त रहे चुके हों। अथवा 10 वर्ष श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम-1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रह चुके हों।

4. इस शासनादेश के अन्तर्गत संबंधित पत्रकार को स्वीकृत पेंशन उसकी मृत्ये हो जाने की दशा में उस पर आश्रित पत्नी/पति को इस प्रतिबन्ध के साथ कि वो किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित न हो तथा उसकी सम्पूर्ण वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो, 50 प्रतिशत कम करते हुए उसके जीवन पर्यन्त प्रदान की जायेगी। आश्रित की मुत्यु की दशा में पेंशन स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु पत्रकार को महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संगत अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6. सूचना विभाग को प्राप्त आवेदन-पत्रों पर समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित दो तिहाई सदस्यों की सहमति से पेंशन स्वीकृ हेतु अनुसंसा की जायेगी, जो अन्तिम होगी। इसे वाद का विषय नही बनाया जायेगा। समिति के संस्तुति के उपरान्त पात्र संबंधित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय सूचना मंत्री का होगा।

7. गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कराई गयी पेंशन की धनराशि की वसूली संबंधित पत्रकार से एकमुश्त की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार समिति वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करने में भी सक्षम होगी।

8. शासनादेश के अन्तर्गत पात्र पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि ₹ 5,000.00 (पांच हजार मात्र) प्रतिमाह होगी।

9. उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्याः-101NP/XXVII (5) दिनांक 26.08.2016 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(विनोद शर्मा)
सचिव, सूचना

संख्या- 223 (1) XXii (2)2016-53(सूचना) 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
2. आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

<u>संख्याः 278 /XXii /16-53(सूचना) 2002</u>

प्रेषक

विनोद शर्मा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-2 **देहरादून दिनांक 16 सितम्बर, 2016**

<u>विषयः उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में।</u>

<u>महोदय,</u>

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 542/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस)16/2015 दिनांक 31.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के संबंध में पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फंड) की अधिसूचना संख्याः 630/ XXii/ 2012-53 (सूचना) 2002 दिनांक 31 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष वित्तीय सहायता नियमावली 2012 के नियम-4 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा ही पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. विषगत संदर्भ मंे सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि संदर्भगत शासनादेश संख्याः 223 /XXii /16-53(सूचना) 2002 दिनांक 29 अगस्त, 2016 में उत्तराखण्ड वयोवृद्ध श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने हेतु प्रस्तर-1 में नामित समिति के स्थान पर अधिसूचना संख्याः 630/ XXii /2012-53 (सूचना) 2002 दिनांक 31 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिए पत्रकार कल्याण कोष वित्तीय सहायता नियमावली 2012 के नियम-4 के अन्तर्गत गठित समिति को एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

3. उत्तराखण्ड वयोवृद्व श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के शासनादेश संख्याः 223/ XXii/ 16-53 (सूचना) 2002 दिनांक 29 अगस्त, 2016 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसका शेष भाग सभी प्रावधान यथावत रहेगे।

भवदीय

(विनोद शर्मा)
सचिव, सूचना

<u>संख्या- 278 (1) XXii (2)2016-53(सूचना) 2002 तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. आयुक्त कुमाऊॅ/गढवाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड कोषागार पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(विनोद शर्मा)
सचिव, सूचना

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,
महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

1. **आवेदक का नाम व पदनाम**...
2. **समाचार-पत्र/संस्थान का नाम**...
3. **जन्म तिथि (**पुष्टि हेतु जन्म तिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें)...
4. **आवेदक का स्थायी पता**..**(**स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
5. **वर्तमान निवास/अस्थाई पता**..
6. **दूरभाष /मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई डी**...
7. **पत्रकारिता अनुभव वर्ष**...**(**विवरण एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. **उत्तराखण्ड राज्य/पूर्ववर्ती उ.प्र. राज्य में 05 वर्ष तक निरन्तर राज्य अथवा जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त रहे हैं, अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हों, का विवरण एवं प्रमाणिकअभिलेख**...
9. **अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त होती है अथवा नही** यदि नही तो इस आशय का **₹** 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करें) ....
10. **समस्त स्रोतो से वार्षिक आय** ....**(**उप जिलाधिकारी/तहसीलदार स्तर से आय प्रमाण पत्र संलग्न करे)।
11. **आवेदक का बैंक खाता संख्या/पैन नं/आई.एफ.एस.सी कोड संख्या आदि का विवरण** (पुष्टि हेतु कैन्सिल्ड चैक/पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)...

घोषणा

मैं..श्री/श्रीमती----------------------
पुत्र/पुत्री श्री------------------ घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार दी गई सूचना/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। यदि आवेदन में दर्शायी गई सूचना/अभिलेख असत्य पाये जाते है, तो प्राप्त की गई पेंशन ब्याज सहित सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को वापस कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक-
संलग्नको का विवरण...........................

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रमाण पत्र

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र ....आयु................... निवासी...के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया है।कार्यालय में प्राप्त अभिलेखों/अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार श्री ....राज्य/जनपदीय मान्यता प्राप्त/ श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम- 1955 के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे है। इनका आवेदन पत्र सक्षम स्तर पर विचार किये जाने हेतु अग्रसारित किया जाता है।

जिला सूचना अधिकारी हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक..